

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015—भाद्र 5, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

फा. क्र. 17(ई)-2279-2015-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला हरदा, मध्यप्रदेश हेतु नगरपालिका परिषद् उप निर्वाचन 2015 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं:—

- (1) श्री जे. आर. हेडाड, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, हरदा.
- (2) श्री मुमताज खान, जिला खनिज अधिकारी, हरदा.
- (3) श्री संजय गहरवाल, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, हरदा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.